



**REGIONAL OFFICE**  
**C.G. Environment Conservation Board**  
**New Office Building, Ring Road No.- 2, Tatibandh, Raipur (C.G.)**

No <sup>6097</sup>/TS/CECB/2024

Raipur, dated 16/2/2024

To,

The Registrar,  
National Green Tribunal  
Central Zonal Bench, Bhopal (M.P.)

Sub:- Regarding Hon'ble National Green Tribunal, Central Zonal Bench, Bhopal Order Dated 03/01/2024 in OA No. 196/2023(CZ), Gaur Singh Nishad Vs State of Chhattisgarh and Others.


Ref :- Hon'ble National Green Tribunal, Central Zonal Bench, Bhopal Order Dated 03/01/2024 in OA No. 196/2023(CZ), Gaur Singh Nishad Vs State of Chhattisgarh and Others.

----:00:----

In compliance to the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zonal Bench, Bhopal order as referenced above, a Joint Committee consisting of (i) Mr. Sonaal David, Sub Divisional Magistrate (Revenue), Kurud, District – Dhamtari (C.G.) - Representative of District Collector, District – Dhamtari (C.G.), (ii) Dr. Anoop Chaturvedi, Scientist 'B' Regional Directorate, CPCB, Bhopal - Representative of CPCB (iii) Mr. Prasanna Sonkar, Assistant Engineer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Tatibandh, Raipur (C.G.) -Representative of CECB and (iv) Mr. Bajrang Paikra, Mining Officer Distt-Dhamtari, Chattisgarh is constituted for preparing the factual and action taken report. The committee visited the site at village – Saildeep, Tehsil – Kurud, District – Dhamtari with the complainant on 05.02.2024. Accordingly, a report has been prepared on the basis of the findings of the committee.

The factual and action taken report duly signed by the members of the committee is enclosed for justification of compliance.


Enclosed :-As above

  
Manish Kashyap, Regional Officer  
Chhattisgarh Environment Conservation Board,  
Raipur (C.G.)

Reg. No. /TS/CECB/2024

Raipur, Dated / /2024

- Copy to:-1. Member Secretary, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Nava Raipur Atal Nagar for favour of information.
2. Ms. Parul Bhadoria, Advocate, Chamber No. 609, UCI, Lawyer Chamber, Bhopal, Near District Court, Bhopal, M.P. for favour of information and necessary action please.

  
Manish Kashyap, Regional Officer  
Chhattisgarh Environment Conservation Board,  
Raipur (C.G.)

# **Joint Committee Inspection Report**

**In the Matter of**

**Original Application No.196/2023  
“Gaur Singh Nishad V/s State of Chattisgarh&Ors.”**

**w.r.to**

**Hon`ble National Green Tribunal Central Bench  
Bhopal order dated 03.01.2024**

**Date of Visit: 5<sup>th</sup> February 2024  
Location: Saildeep Village, Dhamtari CG**

# Inspection Report

In the present case the applicant sent a letter petition to Hon'ble NGT Central Zone Bhopal and intimate about illegal sand mining and various environmental violation in Mahanadi river at village Saildeep in district Dhamtari of Chhattisgarh. Hon'ble National Green Tribunal take suo-moto cognizance and registered the case as O.A. No. 196 of 2023 "Gaur Singh Nishad V/s State of Chattisgarh&Ors." and vide its order dated 03<sup>rd</sup> January 2024 directed that in para 1, 2, 7 and 8 as under :

*1. By means of filing this petition the applicant has raised the issue of illegal sand mining and violation of EC guidelines regarding excavation and mining of sand by the respondent in gram Saildeep, Kurud, Dhamatri, Chhattisgarh. It is alleged that the contractor Sunil Kumar Kandeliya is involved in illegal sand mining and excavating the sand mining beyond the permissible limits and against the prescribed guideline. He has permission of excavating sand from Khasra No. 409 admeasuring 4.9 hectare upto the limit 1.5 meters depth and only upto the extent of 73.500 m<sup>3</sup> every year but excavation is done three times more than the prescribed limit and adversely affecting the plantation near the area. It is further alleged that the Khasra No. 410, 411, 415 & 416 is also being used for sand mining and excavation without any authority by use of heavy JCB machines adversely affecting the environment.*

*2. A substantial issue of environment has been raised.*

*7. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:-*

*(i) One representative of Dhamtari, Collector, (Chhattisgarh)*

*(ii) One representative from the Chhattisgarh Environment Conservation Board, (Chhattisgarh)*

*(iii) One representative from the Central Pollution Control Board, (Chhattisgarh)*

*8. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The CECB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*

In view of the above direction joint committee visited Saildeep area at Dhamtari on 5<sup>th</sup> February, 2024 to assess the factual status of allegation made in petition and present status of mining activity if any. The joint committee comprised of the following officers:

1. Sh. Sonaal David, SDM, Tehsil-Kurud Chhattisgarh
2. Dr. Anoop Chaturvedi, Scientist 'B' Regional Directorate, CPCB, Bhopal
3. Sh. Prasanna Sonkar, Assistant Engineer Regional office, CECB, Raipur, Chattisgarh
4. Sh. Bajrang Painkra, Assistant Mining Officer Distt-Dhamtari, Chattisgarh

To better coordination in the investigation, the committee informed to applicant well in advance regarding the proposed visit. The meeting was held at the conference hall of Panchayat office Village Saildeep on 5.2.2024. During meeting all committee members and Shri Gour Singh Nishad (applicant) along with his other colleagues were presented and discussed the issues mentioned in the petition. The relevant issue also discussed with Sarpanch Smt. Pushplata Sahu and other panchayat staff during visit. The other officials present during the inspection are Shri. Khemchand Sahu, Jr. Scientist, CECB, Sh. Manoj Bharadwaj Tahsildar and Shri Sanjay Chandrakar, Patwari. The attendance list of officers and other stake holders present during inspection is enclosed as **Annexure-01**

To find out facts as well as to know the extent of problem, the committee visited the Mahanadi River site, sand storage area and visited all Khasra numbers physically which are mentioned in petition and discussed the issue of illegal sand mining in their village area if any or any instances of this in the recent past. The major observation of physical survey has been recorded in the form of Panchnama, which is enclosed as **Annexure-02**. After inspection of site committee members again interacted with the Sarpanch and other local residents to provide further opportunities for providing any other information related to the petition.

**Previous NGT case in the same matter:** Hon'ble NGT Central Bench, Bhopal taking suo-moto action through letter petition and registered a case under OA

No. 136/2023 in the matter of “Gour Singh Nishad V/s State of Chattisgarh&Ors.” Hon’ble NGT sought a report from joint committee, based on the committee report case OA 136 of 2023 disposed on 6.2.2024 and the judgement is enclosed as Annexure-03. It is also pertinent to mention that the Petitioner, Respondents, Khasra no and matter of violation all are same in previous and present case. The judgement indicated that there is no violation w.r.to illegal sand mining.

**The main issues raised in the petition by the Applicant are as under:-**

1. Illegal sand mining and violation of EC guidelines regarding excavation and mining of sand by the respondent in gram Saildeep, Kurud, Dhamatri.
2. Khasra No. 410, 411, 415 & 416 is also being used for sand mining by use of heavy JCB machines.
3. Sand is being stored illegally on Khasra no 254/1, 258/1 and 252 and damaged the grasses on government land.

The committee made the following observation during site visit on the above mentioned issues:-

**Issue No. 01: Illegal sand mining and violation of EC guidelines regarding excavation and mining of sand by the respondent in gram Saildeep, Kurud, Dhamatri.**

1. GPS location of the River Mahanadi at Saildeep village has been recorded using a mobile-based GPS application. The google map of the site and photographs taken during the inspection are enclosed herewith. The geographical coordinates of Saildeep mining site are 20°46’27.23’’N, 81°46’26.46’’E.
2. River Mahanadi flows from east to west direction however no flow of water in the river was observed during inspection. The location of this site partially falls in Saildeep village and partially in Choti Kareli Village of district Dhamtari.
3. As per the information given by Mining Officer, Dhamtari the Khasra no 939 is submerged government land having area of 70.69 hector and out of this 8.0 hector land lease allotted to Panchayat Saildeep for sand mining

purpose, however the same permission is expired on 14.06.2019 and after that no sand mining activity carried out at this location. The Gram Panchayat also given a letter in this regard which stated that since 2020 no mining permission has been given to any person and no revenue collected under this head. The letter issued by Gram panchayat is enclosed as **Annexure-04**. District Mining officer, Dhamtarial also informed that presently no sand mining leases are allotted at river bank of at Saildeep village.

4. Committee visited the entire stretch of river Mahanadi located between Saildeep village to Choti Kareli village and no sand mining activity was found in the jurisdiction of Saildeep panchayat. The gram panchayat obtained permission from SEIAA Chhattigarhin 2016 for excavation of 50,000 Meter cube sand per year. The permission obtained from the SEIAA is enclosed as Annexure-05. During the visit no tractors, dumpers, trollies and sand excavation activity were observed at the bank of river at Saildeep side. No transportation of sand was observed by the committee at the time of visit. Information regarding the same was also collected from locals during the visit, who denied visualization of any commercial sand mining activity from this side since long. Large size tranche and pits was also not observed during visit.
5. The committee observed that between Saildeep and Choti Kareli a temporary sand pathway constructed across the river that may be used for transferring the sand which was excavated from the other side (Choti Kareli) of the river which is allotted for sand mining. This pathway may hinder the natural flow of the river during monsoon period.
6. As per guidelines and EC conditions, the lease boundary must be clearly demarcated, such demarcations were not observed at river site to verify the lease area if allotted in future.

**Issue No. 02 :Khasra No. 410, 411, 415 & 416 is also being used for sand mining by use of heavy JCB machines.**

The committee visited all the khasra number mentioned in the petition along with revenue officers and it was observed that all the khasra number away from river bank and presently rice is being cultivated and even in future also there is no possibility of sand mining from these

khasra numbers because since beginning it is used for agriculture purpose only.Hence the statement given in petition regarding mining activity in above mentioned khasra number is found incorrect.

**Issue No. 03: Sand is being stored illegally on Khasra no 254/1, 258/1 and 252 and damaged the grasses on government land.**

The committee visited all the khasra no for verification of present status of sand storage at this site and it was observed that only at khasra no 254/1& 254/2 small quantity of sand is being stored by Mr Parag Bade resident of Bhilai for that he has obtained permission from Collector office vide order no 566 issued on 27.05.2021 and valid for next three year the permission letter is enclosed as Annexure-06. It was observed that 02 JCB kept at sand stock yard for sand transferring purpose this stock yard is approx. 300 Meter away from the river Mahanadi. The committee also visited other khasra no 252, 258 and 266 and it was observed that either there is agriculture activity or barren land.

Hence allegation made in petition regarding illegal storage of sand found incorrect by the committee.

**Conclusion:-**




No illegal sand mining and storage at village Saildeep was observed by the committee, however a temporary sand pathway was observed across the river that may obstacle for free flow of river during monsoon period.The issues raised in the OA with respect to Saildeep village District Dhamtari district were not found correct. Hon'ble NGT (CZ) already given judgement in the similar type of matter in OA no 136 of 2023.

**Recommendations:**

1. Warning boards intimating the penalty for illegal mining and transportation of sand should be placed by the Mining Department at Village Saildeep.
2. The Water Resources Development Department of the state should also keep vigil on the river and if any kind of unauthorized construction or obstacle observed, immediately may take appropriate action.
3. All precaution shall be taken to ensure that the water stream flows

unhindered and process of natural river meandering doesn't get affected and local administration may remove the pathway which is made across the river near village Saildeep.

4. All the project proponents of sand mining in Chhattisgarh state must obtain CTE/CTO from CECB under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
5. Use of heavy vehicles and digging armatures strictly be prohibited in the river bed.
6. District authorities shall strengthen the site inspections by the Revenue Department and Mining Department of State Government at regular intervals for the mines as well as the stock yards.
7. The mining department should ensure the compliance of Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 and Enforcement and Monitoring guidelines for sand mining, 2020."

 <b>Bajrang Paikra</b> Assistant Mining Officer Dhamtari CG	 <b>Prasanna Sonkar,</b> Assistant Engineer CECB, RO Raipur
 14/2/24 <b>Sonaal David</b> SDM, Kurud Chhattisgarh	<b>अनूप चतुर्वेदी</b> <b>Dr Anoop Chaturvedi</b> Scientist BCPCB, Bhopal







Latitude: 20.774652  
Longitude: 81.776947  
Altitude: 265.0±43 m  
Accuracy: 21.8 m  
Time: 02-05-2024 13:49  
Note: seldeep sand mining

Site visit of committee



Sand stock yard at K No. 254/1



# उपस्थिति पत्रक

माननीय NGT के प्रकरण क्रमांक 196/2023 के संदर्भ में सेलदीप के निकट निरीक्षण की उपस्थिति बावत्।

दिनांक: 05.02.2024

स्थान: ग्राम सेलदीप वि.खं. कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)

क्रमांक	नाम	विभाग	हस्ताक्षर
1.	वज्ररंग पेंकरा	सहा. वॉरंट अधिकारी (स्वस्वि)	
2.	अनूप चक्रवर्ती, वंश-रव	ने. प्र. नि. वॉर्ड, भोगल	
3.	प्रसूनना सोनकर भवः डोभिमंला, हुतात्प. संस्थ.	क्षेत्रीय कार्यालय, हुतात्प. संस्थ., धमतरी	
4.	फुल्ल लताशर्मा	अरपंच	फुल्ल लताशर्मा
5.	मनोज भारद्वाज लुण्ठित कुरुद	राजस्व विभाग	 05.02.2024
6.	संभव चंद्राकर (परिवार)	राजस्व विभाग	
7.	श्वेतचंद्र साहू (कनिष्ठ वंशः)	क्षेत्रीय कार्यालय व ग. पंच निरीक्षण मंडल धमतरी	
8.	भावत कृष्ण भादू	ग्रामीण	
9.	नेमचंद्र साहू (अभारंभ)	ग्राम पंचायत, सेलदीप	
10.	गौर सिंह निषाद	शिक्षाभारतकर्ता	
11.	हुलेश निषाद	पंच ग्राम, सेलदीप	हुलेश राम 
12.	दीपेश निषाद	ग्रामीण	
13.	दिशान कुमार	ग्रामीण	
14.	चुनेश्वर साहू	ग्रामीण	
15.	चित्रसेन साहू	ग्रामीण	चित्रसेन साहू
16.	संतुष साहू	कोटवाट	संतुष साहू

पंचनामा


स्थान - मैतरीप  
दिनांक - 05/02/2024


आज दिनांक 05/02/2024 समय 1.15 PM को ग्राम मैतरीप तह. कुरुद जिला धमतरी में CPCB Bhopal (श्री श्रुप चतुर्वेदी जी) द्वारा राजस्व विभाग, खनिज विभाग, दोमस-कमलिय पर्यावरण संरक्षण समुदाय, शिकारकर्ता एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण में दर्ज प्रकल्प क्र. OA No 196/2023, गौरसिंह विवाद पं. द.रा. शास्त्र सर्वे अन्तर्गत के संवर्धन में शिकारकर्ता क्षेत्र ग्राम मैतरीप के निम्न निरीक्षण किया गया जिसके पता गया कि ख.क्र. 409 से 416 पर जोड़ी खेत नहीं हो रहा है तथा खेती भी जा रही है। ख.क्र. 252, 258/1, 266 पर भी जोड़ी रेट का संश्लेषण नहीं पाया गया। ख.क्र. 254/1 पर पूर्ण से रेट का संश्लेषण होना पाया गया तथा सीमित मात्रा में रेट रखी भी।


निरीक्षण के दौरान ग्राम मैतरीप के सहकारी क्षेत्र में जोड़ी भी खेत नगतिविधि नहीं पाई गई।

पंचनामा पढ़ा सुना रही पाया  
हस्ताक्षर किया।


- ① जितेंद्र शर्मा
- ② दुर्गेश शर्मा
- ③ एमके 21
- ④ वीणाकुमार
- ⑤ सुनील शर्मा
- ⑥ श्री...
- ⑦ निजामाबाद
- ⑧ श्री...


  
मनोज कुमार  
तहसीलदार  
कुरुद

  
प्रसाद साहू,  
राज. अभियंता,  
दोमस सं. मं.

  
10/2/24  
21/2/2024

  
Manoj Singh  
Dhantari

  
Anand Singh

  
Dr Scientist  
POCCB RUPUR

Item No. 6

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL  
(Through Video Conferencing)**

**Original Application No. 136/2023(CZ)**

Gaur Singh Nishad & Anr.

Applicant(s)

Vs

State of Chattisgarh & Ors.

Respondent(s)

Date of Hearing: **06.02.2024**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s):

None.

For Respondent(s):

Ms. Parul Bhadoria, Adv.

**ORDER**

1. This letter petition has been filed by Gaur Singh Nishad S/o Lt. Dhruvram Nishad and Bhokhan Lal Sahu S/o Tannuram Sahu, resident of village Sialdeep, Tehsil-Kurud, District, Dhamtari, Chhattisgarh with the facts that illegal sand mining is being done by the violators of law and respondents named in the application from the Mahanadi in the village Sialdeep by using JCB and dumping the sand on the roads and using it for commercial purposes.
2. The matter was taken up by this Tribunal on 11.10.2023 and the report was called from the joint committee consisting Collector, District - Dhamtari, Chhattisgarh and one representative from State Pollution Control Board.
3. In compliance thereof, the joint committee has submitted the report with the facts :-
  - i. *"That on 13.12.2023 an on-site inspection was conducted by the Joint Committee in the presence of the complainant and a Panchnama dated 13.12.2023 was*

prepared. It is pertinent to note here that neither any illegal sand mining nor illegal storage of sand was observed at the complaint site in the village of Sialdeep.

- ii. The Tehsildar, Kurud, District-Dhamtari (Chhattisgarh), vide letter dated 20.12.2023, conducted demarcation and sent the report to the Office of the Collector (Mining Department), District-Dhamtari (Chhattisgarh wherein, the government land bearing Khasra number 939, with an area of 70.69 hectares, located in the village Saildeep, is recorded in the revenue records as submerged under water (Mahandi River). Additionally, it has been noted in the report that there is no evidence of unauthorized sand excavation in the aforementioned area.
- iii. That the Joint Committee reviewed the information presented vide letter dated 26.12.2023, issued by the Office of the Collector (Mining Department), District-Dhamtari (Chhattisgarh). Wherein it was recorded that from the period of 17.10.2018 to 14.06.2019, a sand mining lease was granted to the village Saildeep, at Khasra number 939, with a total area of 70.69 hectares, out of which 5.00 hectares were approved for sand excavation. The operation of the mine was carried out by the Gram Panchayat Saildeep and amount of 17,00,000/- INR was received by the Gram Panchayat as revenue from the mining operation. Furthermore, in the village Saildeep, permission for sand storage has been granted to the resident of Paragbade at Khasra number 154/1.2, covering an area of 0.86 hectares, for a duration from 27.05.2021 to 26.05.2024, encompassing 14790 cubic meters.
- iv. In the light of the above facts, the Joint Committee is of the opinion that no evidence of illegal sand excavation or unauthorized sand storage has been found in village Saildeep and therefore, no other action is proposed in relation to the case.”

4. The report is attached with the signature of more than 12 persons of the village supporting the report.
5. In view of the above facts and the report submitted by the State Pollution Control Board no illegal mining has been reported. Action has been taken by the authorities concerned. No further action is required at present by this Tribunal.
6. The **Original Application No. 136/2023 stands disposed of** accordingly.

**Sheo Kumar Singh, JM**

**Dr. Afroz Ahmad, EM**

06<sup>th</sup> February, 2024  
O.A. No. 136/2023 (CZ)  
PN





# ग्राम पंचायत सेलद्वीप

विकास खण्ड कुरुद, जिला-धमतरी (छ.ग.)



सरपंच

श्रीमती पुष्पलता साहू

मो.: 7581900020, 7000520730

निवास

ग्राम-सेलद्वीप, पो.मंदराद  
तह.कुरुद, जि.-धमतरी (छ.ग.)

क्र.

दिनांक 05/02/2024..

प्रति,

नोडल अधिकारी,  
पर्यावरण संरक्षण विभाग,  
रायपुर,

**विषय: रेत खदान की जांच के संबंध में बावत।**

संदर्भ: -माननीय NGT के प्रकरण क्रमांक 196/2023 के आदेश दिनांक 03.01.2024 के संदर्भ में दिनांक 05.02.2024 को ग्राम पंचायत कार्यालय सेलदीप में हुई समिति की बैठक के अनुसार।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत सेलदीप में जनवरी 2020 से नव निर्वाचित सरपंच श्रीमती पुष्पलता साहू के कार्यकाल में अभी तक ग्राम पंचायत को रेत खदान का रायल्टी नहीं मिला है। और ग्राम पंचायत सेलदीप द्वारा व्यवसायिक स्तर पर जेसीवी तथा पोकमेन मशीन से रेत खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।

पुष्पलता साहू  
सरपंच  
ग्राम पंचायत सेलदीप  
वि.खं.कुरुद, जि.धमतरी (छ.ग.)

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़  
भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

व्यवसायिक परिसर,  
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड  
कालोनी, कबीर नगर,  
रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल: seiaacg@gmail.com

4722

क. /एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग./ई.सी./रेत/धमतरी/139  
प्रति,

रायपुर दिनांक 06/02/2016

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जनपद पंचायत कुरुद,  
ग्राम-सेलदीप,  
तहसील-कुरुद,  
जिला-धमतरी (छ.ग.)

विषय :- खसरा नं. पार्ट ऑफ 939, ग्राम-सेलदीप, जनपद पंचायत कुरुद, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 8.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :- संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 6388/ख.नि 02/रेत (ईसी)/न.क्र. 38/1996 नया रायपुर दिनांक 19/11/2015 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 28/11/2015

---: 00 :---

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया पत्र दिनांक 19/11/2015 एवं 28/11/2015 का अवलोकन हो।

- **ऑनलाईन आवेदन** -प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 32649/2015 यह आवेदन संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 6388/ख.नि 02/रेत (ईसी)/न.क्र. 38/1996 नया रायपुर दिनांक 19/11/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।
- **प्रस्ताव का विवरण** - यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. पार्ट ऑफ 939, ग्राम-सेलदीप, जनपद पंचायत कुरुद, तहसील-कुरुद, जिला - धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 8.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-50,000 घनमीटर/वर्ष (85,000 टन/वर्ष) है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-
  1. जनपद पंचायत कुरुद, जिला-धमतरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
  2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।

3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित 02 अन्य रेत खदान नवीनजोरातराई रकबा 7.05 हेक्टेयर एवं करेलीछोटी रकबा 6.0 हेक्टेयर है। आवेदित रेत खदान (ग्राम- सेलदीप) कुल रकबा 8.0 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम- सेलदीप) को मिलाकर कुल रकबा 21.05 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उप संचालक, (खनि. प्रशासन), संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग, नया रायपुर द्वारा अनुमोदित है।

● प्रस्ताव की सामान्य जानकारी -

1. समीपस्थ आबादी ग्राम-सेलदीप में 250 मीटर की दूरी पर है। शैक्षणिक संस्थान - स्कूल, सेलदीप में 300 मीटर एवं अस्पताल मेघा में 3500 मीटर दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1200 मीटर दूर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 5.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 3.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई - 188 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - 305 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा - 2,40,000 घनमीटर

● प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार - कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 03/12/2015 के द्वारा सूचित किया गया।

● समिति द्वारा विचार - एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 175वीं बैठक दिनांक 08/12/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री पुरानिक सिंह धुव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण :- नवीन रेत खदान है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित 02 अन्य रेत खदान नवीनजोरातराई रकबा 7.05 हेक्टेयर एवं करेलीछोटी रकबा 6.0 हेक्टेयर है। आवेदित रेत खदान (ग्राम- सेलदीप) कुल रकबा 8.0 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम- सेलदीप) को मिलाकर कुल रकबा 21.05 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
4. जनपद पंचायत कुरुद, जिला-धमतरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. पार्ट ऑफ 939, ग्राम-सेलदीप, जनपद पंचायत कुरुद, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 8.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 56वीं बैठक दिनांक 28/01/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. पार्ट ऑफ 939, ग्राम-सेलदीप, जनपद पंचायत कुरुद, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 8.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार खसरा नं. पार्ट ऑफ 939, ग्राम-सेलदीप, जनपद पंचायत कुरुद, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 8.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधियों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. उत्खनन क्षेत्र 8.0 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घनमीटर/वर्ष से अधिक नहीं होगा।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो।


5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोड़कर ही किया जावे, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव - जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जावे।
9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नहीं किया जावे।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।
12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।
13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।
14. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1600 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।
16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।
17. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावे।
19. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।
21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट

www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।
25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।
26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।
27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
28. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।
29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

  
सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,  
छत्तीसगढ़

4723  
पृ. क. / एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. / ई.सी. रेत / धमतरी / 139 रायपुर दिनांक 06/02/2016  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492001
2. डायरेक्टर, जीओलॉजी एवं माईनिंग, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492001
3. डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विंग, द्वितीय मंजिल, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 100003
4. मुख्य वन संरक्षक, (सी) क्षेत्रीय कार्यालय (वेस्ट जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड क्रमांक - 3, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (मध्यप्रदेश)
5. कलेक्टर, जिला - धमतरी (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,  
छत्तीसगढ़



## कार्यालय, कलेक्टर खनिज शाखा धमतरी (छ.ग.)

क्रमांक 572 / खनिज/उ.प./पंजीयन/ 2021  
प्रति,

धमतरी, दिनांक 27/05/2021

श्री पराग बड़े,  
निवासी - एच. आई.जी. 34, वार्ड नम्बर 46 पद्मनाभपुर दुर्ग  
जिला- दुर्ग छ0ग0

विषय:- साधारण रेत अस्थायी भण्डारण अनुज्ञा में निष्पादित अनुबंध का पंजीयन कराने बाबत।  
संदर्भ:- कार्यालयीन आदेश क्रमांक /.....566...../ख.लि./2021 धमतरी, दिनांक 27/05/21।

--00--

उपरोक्त विषयानुसार लेख है, कि आपके पक्ष में ग्राम सेलद्वीप तहसील कुरुद जिला धमतरी के खसरा क्रमांक 254/1, 254/2 का कुल रकबा 0.86 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज साधारण रेत अस्थायी भण्डारण अनुज्ञा 03 वर्ष की कालावधि के लिए स्वीकृत करते हुए निर्धारित प्रारूप 21 में अनुबंध विलेख का निष्पादन किया गया है।

स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए स्वीकृत अनुज्ञापत्र क्षेत्र में एक समय पर भण्डारित खनिज मात्रा 14790 घनमीटर की रायल्टी रूपये 7,39,500/- (सात लाख उनचासी हजार पाच सौ रूपये) है। तथा अनुज्ञा स्वीकृति हेतु आवेदन शुल्क 2,62,500/- रूपये एवं स्वीकृति पश्चात अनुबंध निष्पादन के पूर्व 50,000/- रूपये प्रतिमूति निक्षेप राशि जमा किया गया है।

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार वांछित मुद्रांक शुल्क की गणना उपपंजीयक कार्यालय धमतरी से कराया जाकर आवश्यक ई-स्टाम्प अनुबंध पत्र में संलग्न कर अनुबंध का पंजीयन करावे तथा पंजीयन पश्चात पंजीकृत अनुबंध पत्र की एक प्रति इस कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करावे।

27/05/21  
सहायक खनिज अधिकारी  
सहायक खनिज अधिकारी  
कार्यालय कलेक्टर धमतरी (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक 572-A / खनिज/उ.प./पंजीयन/2021  
प्रतिलिपी-

धमतरी, दिनांक 27/05/2021

उप पंजीयक, जिला धमतरी को उपरोक्त उल्लेखित अनुबंध पत्र, पंजीकृत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

27/05/21  
सहायक खनिज अधिकारी  
सहायक खनिज अधिकारी  
कार्यालय कलेक्टर धमतरी (छ.ग.)